भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं.: 5245
उत्तर देने की तारीख: 24.03.2026

सामुदायिक वन अधिकारों का संरक्षण

5245. श्री सुखदेव भगत:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को न्याय के लिए आह्वान, तथ्यान्वेषी समिति (2024) के संबंध में तथ्य आधारित रिपोर्ट की जानकारी है जिसमें यह कहा गया है कि व्यक्तिगत वन अधिकारों के दावों को स्वीकार किया जा रहा है और विशेष रूप से खनन अथवा अन्यत्र उपयोग के लिए चिह्नित क्षेत्रों में सामुदायिक वन अधिकारों को व्यवस्थित रूप से नकारा जा रहा है; और

(ख) उक्त रिपोर्ट में जनजातीय पहचान और सामूहिक अधिकारों को संरक्षित करने वाले सामुदायिक वन अधिकारों के संरक्षण को प्राथमिकता न दिए जाने, जो एक प्रमुख कमी है, के क्या कारण हैं?

उत्तर
सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री
(श्री रामदास आठवले)

(क) और (ख): जनजातीय कार्य मंत्रालय ने सूचित किया है कि उन्हें दिल्ली स्थित एक एनजीओ, जिसका नाम 'कॉल फॉर जस्टिस' (सीएफजे) है, द्वारा किए गए अध्ययन की जानकारी है। उक्त एनजीओ की तथ्यान्वेषी समिति ने 30 मार्च 2024 को माननीय जनजातीय कार्य मंत्री को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, और सीएफजे द्वारा उठाए गए मुद्दों पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया। सीएफजे ने पांच राज्यों के कुछ चुने हुए ज़िलों में किए गए अध्ययन के आधार पर, वन अधिकार अधिनियम (एफआरए) के कार्यान्वयन में कुछ चुनौतियों, जैसे कि-दावों का लंबित होना, कम क्षेत्रफल को मंज़ूरी मिलना और हितधारकों की क्षमता में कमी आदि की पहचान की।

चूंकि ''अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम (एफआरए), 2006'' के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी राज्य सरकारों/संघ राज्य

क्षेत्र प्रशासनों की है, इसलिए जनजातीय कार्य मंत्रालय ने एफआरए की वास्तविक भावना के अनुरूप सामुदायिक वन अधिकारों (सीएफआर) के संरक्षण और मान्यता सहित अधिनियम के उचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न पहलुओं पर समय-समय पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को दिशा-निर्देश और मार्गदर्शन जारी किए हैं, जिसका उद्देश्य जनजातीय पहचान, पारंपरिक शासन प्रणालियों और वन संसाधनों तक उनकी सामूहिक पहुंच को सुरक्षित रखना है।

इसके अतिरिक्त, जनजातीय कार्य मंत्रालय ने प्रभावी सीएफआर शासन को सुगम बनाने के लिए वर्ष 2023 में सामुदायिक वन संसाधनों के संरक्षण, प्रबंधन और सतत उपयोग हेतु विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए हैं।

जनजातीय कार्य मंत्रालय ने राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को कई निर्देश भी जारी किए हैं, ताकि दावों के निपटारे और उनके निस्तारण की प्रक्रिया को तेज़ किया जा सके, एफआरए के कार्यान्वयन से संबंधित मुद्दों को सुलझाया जा सके, और यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी पात्र दावेदारों को वे अधिकार प्रदान किए जाएं, जो उन्हें मिलने चाहिए। राज्य सरकारों को 'धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान' (डीए-जेजीयूए) के तहत वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिसका उद्देश्य ग्राम सभाओं और सामुदायिक वन संसाधन प्रबंधन समितियों को सुदृढ़ बनाना है; इसमें समुदाय-नेतृत्व वाले वन प्रबंधन योजनाओं को तैयार करना और उन्हें लागू करना भी शामिल है।
